सरकार

-6)विभाग

प.क:-6(9)राज-6/01पार्ट जयपुर,दिनांक:- 21.2.06

समस्त जिला कलेक्टर,राज0।

विषय:-राजकीय भूमि को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण किये जाने पर पूंजीगत मूल्य वसूल कर राज्य कोष में जमा कराने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के राजस्व(ग्रुप-6)विभाग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 06.1.2006 जारी की गयी है,जिसके अनुसार जे0डी0ए, यू.आई.टी. एवं 'ए'ग्रेड म्यूनिसपलटी से राजकीय भूमि का डी0एल0सी रेट का 40 प्रतिशत, 'बी'ग्रेड म्यूनिसपलटी से 30 प्रतिशत, 'सी' ग्रेड म्यूनिसपलटी से 20 प्रतिशत, 'डी'ग्रेड म्यूनिसपलटी से डी0एल0सी रेट का 10 प्रतिशत वसूल करने के पश्चात् ही स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण करने के आदेश है।

इस अधिसूचना को दि0 01.4.2005 से लागू करने के लिये संशोधित अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है।

अत:दिनांक 01.4.2005 के पश्चात् जो भी राजकीय राजस्व भूमि स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित की गयी है, उन सभी स्थानीय निकायों से अधिसूचना दि0 06.01.2006 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार डी0एल0सी रेट का निश्चित प्रतिशत वसूल कर राज्यकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।यदि किसी स्थानीय निकाय ने दिनांक 1.4.2005के बाद दी गई राजस्व भूमियों के बारे में लगान का 40 गुना पूर्व में जमा करा दिया था तो ऐसी स्थिति में अधिसूचना दि0 6.1.06 के अनुसार देय राशि में से उसको कम कर बकाया राशि उनसे वसूल कर राज्यकोष में जमा करायें।

भवदीय,

शासन उप सचिव,राजस्व

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1.प्रमुख शासन सचिव,मा. मुख्यमंत्री महोदया।

2.वि0 सहायक,मा0 राजस्व मंत्री महोदय/नगरीय विकास विभाग।

3.निजी सचिव,मुख्य सचिव।

4.निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,राजस्व/वित्त/नगरीय विकास।

5.निजी सचिव,शासन सचिव,राजस्व/वित्त(राजस्व)/स्थानीय निकाय।

6.समस्त संभागीय आयुक्त,राज0।

7.उप शासन सचिव,नगरीय विकास विभाग को भेजकर निवेदन है कि इसकी प्रतियां जयपुर विकास प्राधिकरण एवं समस्त नगर सुधार न्यास को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर राशी राज्यकोष में जमा कराने के निर्देश प्रदान करावे।

8.निदेशक,स्थानीय निकाय को भेजकर लेख है कि इसकी प्रतियां समस्त नगर निगम एवं बी0सी0एवं डी ग्रेड नगर पालिकाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर राशी राज्यकोष में जमा कराने के निर्देश प्रदान करावें।

9.समस्त उप शासन सचिव,राजस्व विभाग।

10.रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव